राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर..

1. अपील संख्या – 324/2009/कोटा

मैसर्स पुरी ब्रदर्स, कोटा .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, कोटा। ....प्रत्यर्थी

खण्ड़पीठ
श्री सुनील शर्म – सदस्य
श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/01/2014

निर्णय

1. यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा के अपील संख्या 33/आरएसटी/2008–09/कोटा में अन्तर्गत धारा 37 of Vat Act के तहत पारित किया गया निर्णय दिनांक 20.09.2008 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2005–06 का कर निर्धारण वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 023.07.2008 को किया गया। जिसमें आलौच्य अवधि में रूपये 53,41,448/– के ई.सी. सम्बन्धित कार्य में से रूपये 42,84,296/– का संविदा कार्य 2.25 प्रतिशत ई.सी. शुल्क से सम्बन्धित सम्पूरित किया जाना पाया गया। लेकिन मूल कर निर्धारण में भूलवश इस पर 1.5 प्रतिशत से ई.सी. शुल्क का निर्धारण कर दिया गया। अतः इसे रिकार्ड की प्रत्यक्षदर्शी भूल मानकर धारा 37 ऑफ आएसटी एक्ट के तहत दिनांक 03.07.2008 को 0.75 प्रतिशत अतिरिक्त मुक्ति शुल्क रूपये 32,132/– तथा ब्याज रूपये 10,925/– कुल मांग रूपये 43,057/– आरोपित कर दी गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी ने इसे प्रत्यक्षदर्शी रिकार्ड की भूल होना निर्धारित कर धारा 37 के तहत आरोपित मांग को कायम रखते हुये अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया कि धारा 37 का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। इसमें केवल रिकार्ड की भूल आती है। जबकि इस प्रकरण में पहले 1.5 प्रतिशत ई.सी. का निर्धारण कर दिया गया तथा बाद में Change of Opinion के आधार पर इसे संशोधित किया गया है। जो धारा 37 के तहत किया जाना पूर्णतया अवैधानिक है। अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया गया। Change of Opinion के आधार पर धारा 37 के तहत कोई कार्यावाही ही नहीं की जा सकती है।

5. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुये कथन किया कि व्यवहारी द्वारा Automatic Exemption के तहत आवर्डर को Undertaking दी गयी थी तथा 1.5 प्रतिशत से ई.सी. देय होना घोषित किया था। जिसके आधार पर अवार्डर द्वारा 1.5 प्रतिशत ई.सी. कर जमा करा दी गयी थी। उसके आधार पर दिनांक 07.02.2008 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण कर दिया गया था। परन्तु व्यवहारी द्वारा आवर्डर के समक्ष गलत Undertaking दी गयी तथा इस कारण यह भूल हुई है। इसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अवधि में ई.सी. प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण ई.सी. का कोई निर्धारण नहीं किया था। अतः यह रिकार्ड की भूल है।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी को आवर्डर द्वारा निम्न कार्य संविदा आवंटित की गयी थी " Contract relating to Painting on structure piping and equipment in plant area of Gadepan I & II' यह कार्य प्लांट व मशीनरी से सम्बन्धित है। अतः इस पर 2.22 प्रतिशत से ई.सी. शुल्क देय बनती है। अतः अपीलार्थी की अपील को निरस्त किये जाने पर बल दिया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि :–

(1.) व्यवहारी को निम्न कार्य आवंटित किया गया था।

(2.) उक्त कार्य पर 2.25 प्रतिशत से ई.सी. फीस देय बनती है।

(3.) व्यवहारी द्वारा वर्ष 05–06 में Automatic ई.सी. प्रमाणी के तहत अवार्डर को Undertaking दी गयी थी। जिसके आधार पर 1.5 प्रतिशत से ई.सी. शुल्क अवार्डर द्वारा मानी जाकर कर ली गयी थी। जिसके आधार पर दिनांक 07.02.2008 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 1.5 प्रतिशत से ई.सी. फीस का कर निर्धारण कर दिया गया।

(4.) जब इस भूल का कर निर्धारण अधिकारी को पता चला तो उसके द्वारा धारा 37 के तहत अपीलार्थी से नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था। अतः सुनवाई का अवसर दिया जाकर यह कार्यवाही की गयी है।

लगातार.....3

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यह एक रिकार्ड की भूल है जिसको धारा 37 के तहत संशोधित किया जा सकता है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्याकिय दृष्टान्त तथ्यात्मक भिन्नता के कारण यहां लागू नहीं होते है। अतः यह निर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवंटित संविदाकार्य की प्रकृति के अनुसार 2.25 प्रतिशत से कर देयता बनती थी। उस पर 2.25 प्रतिशत के स्थान पर 1.5 प्रतिशत से ई.सी. फीस Automatic Exemption की Undertaking देकर व्यवहारी द्वारा गलती की गयी थी। इस गलती को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 37 के तहत उचित रूप से संशोधित किया जाकर अतिरिक्त मुक्ति शुल्क @ .75 प्रतिशत आरोपित की गयी है। अतः अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से इस पर वैधानिक रूप से मांग कायम की गयी है।

7- फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(अमर सिंह) 21-1-14
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य